कार्यालय– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), झारखण्ड, रांची– 2

पत्रांक– **दिनांक–**

प्रेषक,

जे०बी० जौहर,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, रांची- 2

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषयः- **सामेकित वन एवं ग्राम विकास योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली कुल 102.50 लाख रू0 के व्यय का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

सामेकित वन एवं ग्राम विकास योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत वनों एवं वनों के आसपास गाँव के विकास कार्य किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बहुल 41 गाँव में लोकोपयोगी योजनाओं का कार्यान्वियन भी किया जायगा। प्रस्तावित कार्यो का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनु0–1 पर दृष्टव्य हैं।

2) इस योजना के लिये राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष 01–वानिकी जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 11–सामेकित वन एवं ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 102.50 लाख रू0 निम्न इकाईयों में उपबन्धित किया गया हैं।

(रू० लाख में)

1–	कार्यलय व्यय	रू0	–	61.50	लाख
2–	आपूर्ति एवं सामग्री	रू0	–	36.90	लाख
3–	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	रू0	–	4.10	लाख
	योग	रू0	–	**102.50**	**लाख**

3) वित्तीय वर्ष 2007–08 में कार्यान्वित की गई योजना का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि सह उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 573 दिनांक 25.04.08 द्वारा समर्पित किया जा चूका है।

4) वर्ष 2008-09 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों में प्रति ग्राम 250000 रू0 कर्णांकित किया गया है। इस राशि में से प्रति ग्राम 150000 कार्यालय व्यय, 90000रू0 आपूर्ति एवं सामग्री एवं 10000रू0 मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति कार्य में किया जायेगा। विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये गये कार्य का समापन कार्य इस वर्ष किया जायेगा।

5)प्रस्तावित योजना की राशि राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 11-सामेकित वन एवं ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 102.50 लाख रू0 निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी -

1)	कार्यालय व्यय	रू०	-	61.50	लाख
2)	आपूर्ति एवं सामग्री	रू०	-	36.90	लाख
3)	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	रू०	-	4.10	लाख
योग		**रू०**	**:-**	**102.50**	**लाख**

6) वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जानेवाली योजना हेतु अनु0- 1 में वर्णित पदाधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्रों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।

7) इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामों की समिति की बैठक बुलाकर लिये गये निर्णय के आलोक में कार्य सम्पादन किया जायेगा।

8) प्रमण्डलवार ग्रामों की सूची अनुलग्नक 2 पर संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्यो से संबंधित स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें।

अनु०यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

ह0/-

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास),

झारखण्ड, रांची- 2

ज्ञापांक:- दिनांक:-

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र/ वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),

झारखण्ड, रांची- 2